राजस्व अपील संख्या : 85/2024
उनवान : अल्लारक खॉ बनाम तहसीलदार देसुरी व अन्य अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली जिला पाली राज.

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 85/2024
जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2024/521

प्रार्थी :–		अप्रार्थीगण :–
1. अल्लारक खॉ पुत्र रहमान खॉ जाति मुसलमान निवासी देसुरी तहसील देसुरी, जिला पाली (राज.)	बनाम	1. तहसीलदार देसुरी (भूमिधारी) 2. मुबारक अली पुत्र रहमान खॉ जाति मुसलमान निवासी देसुरी,तहसील देसुरी, जिला पाली (राज.)

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरुद्ध आदेश दिनांक 31.12.2009 जो तहसीलदार, देसुरी द्वारा अंतर्गत धारा 53(2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पारित किया गया।

उपस्थिति :–

1. अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री छगनलाल प्रजापत।
2. रेस्पोडेण्ट संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता श्री देवेन्द्रसिंह राव।

<u>–:निर्णयः–</u>

दिनांकः 16.01.2025.

अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता ने एक अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत तहसीलदार देसुरी द्वारा धारा 53(2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पारित आदेश दिनांक 31.12.2009 के विरुद्ध पेश की है। अपील म्याद बाहर होने से धारा 05 लिमिटेशन एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया। अपील सब्जेट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा बहस उभयपक्ष सुनी गई।

प्रस्तुत अपील अनुसार मौजा देसुरी तहसील देसुरी में स्थित खसरा नम्बर 330 रकबा 0.5400 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल लगानी 3.78 रुपयें एवं खसरा नम्बर 330/1 रकबा 0.500 हैक्टेयर किस्म आवासीय प्रयोजनार्थ कुल 0.5900 हैक्टेयर भूमि अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी संख्या 02 की संयुक्त खातेदारी भूमि आई हुई है, जिसमे अपीलार्थी एवं रेस्पो0 संख्या 02 का आधा–आधा हिस्सा हकुक खातेदारी का विद्यमान रहा था।

राजस्व अभियान वर्ष 2009 में उक्त धारित भूमि का अपीलार्थी एवं रेस्पो0 संख्या 02 के मध्य धारा 53(2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत परस्पर विभाजन रेस्पो0 संख्या 02, तहसीलदार देसुरी एवं उनके कार्मिकों द्वारा तैयार करवाया जाकर दिनांक 31.12.2009 को विभाजन स्वीकृत कर वर्तमान खसरा नम्बर 3577/330 रकबा 0.1200 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल एवं खसरा नम्बर 3579/330 रकबा 0.1500 हैक्टेयर कुल रकबा 0.2700 हैक्टेयर भूमि अपीलार्थी के खातेदारी हिस्सें में रखी गई तथा वर्तमान खसरा नम्बर 330 रकबा 0.1200 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 3578/330 रकबा 0.1500 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल रेस्पो0 संख्या 02 के खातेदारी हिस्से में रखी गई, तथा खसरा नम्बर 330/1 रकबा 0.0500 हैक्टेयर आवासीय संपरिवर्तन भूमि अपीलार्थी के तथा रेस्पो0 संख्या 02 के आधा–आधा हिस्सा

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

CamScanner

राजस्व अपील संख्या : 85/2024
उनवान : अल्लारक खॉ बनाम तहसीलदार देसुरी व अन्य अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

खातेदारी में रखते हुए उपरोक्तानुसार विभाजन की स्वीकृति रेस्पो0 संख्या 01 के द्वारा दिनांक 31.12.2009 को पारित कर विभाजन स्वीकृति के अनुसार अधिकार अभिलेखो में इन्द्राज एवं राजस्व नक्शे में तरमीम की कार्यवाही सम्पादित की गई। रेस्पो0 संख्या 01 द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.12.2009 मौके पर वास्तविक कब्जा स्थिति के विपरित पारित किया गया हैं। जबकि अपीलार्थी तथा रेस्पोडेण्ट्स के मध्य विभाजित वास्तविक कब्जा स्थिति के सर्वथा ही विपरित है। अपीलार्थी लम्बे समय से करीबन 15 वर्ष की अवधि से कैंसर से पीडित है एवं राजस्व अभियान 2009 में पारित आदेश के समय भी कैंसर बिमारी से पीडित चल रहा था तथा तत्कालीन राजस्व पटवारी एवं भू– निरीक्षक तथा रेस्पो0 01 के द्वारा तकमील विभाजन के पत्रों पर मात्र उनके कहने से परस्पर सहमति के हस्ताक्षर अंकित कर दिये गये थे। इस तथ्य की जानकारी हाल ही में होने पर राजस्व रिकॉर्ड, नक्शा का सत्यापन मौका स्थिति से करने पर अपीलार्थी को इस तथ्य की जानकारी हुई एवं पश्चात पारित विभाजन पत्र आदेश दिनांक 31.12.2009 की प्रतियां 05.06.2024 को प्राप्त कर देरीना यह अपील मय मर्यादा अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रथक से प्रार्थना पत्र सहित प्रस्तुत हैं। अतः निवेदन है कि प्रस्तुत हुये विलम्ब को क्षम्य (कण्डोन) करते हुए अपील स्वीकार कराई जाकर प्रत्यर्थी संख्या 01 द्वारा पारित अपीलाधीन विभाजन आदेश दिनांक 31.12.2009 को निरस्त फरमावे।

प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट्स को नोटीस जारी किया गए। तहसीलदार देसूरी द्वारा मूल रिकॉर्ड भिजवाया गया जिसे शामिल मिसल किया गया।

रेस्पोडेण्ट संख्या 02 की ओर से जवाब प्रस्तुत कर अपील मीमों में अंकित तथ्यों को स्वीकार करते हुए जवाब पत्र में अंकित किया गया है कि रेस्पोडेण्ट संख्या 01 द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.12.2009 को मौके पर वास्तविक कब्जा स्थिति के विपरित पारित किया गया जबकि अपीलार्थी एवं मुझ रेस्पोडेण्ट संख्या 02 के मध्य विभाजित वास्तविक कब्जा स्थिति के सर्वथा ही विपरित है क्यों कि वक्त विभाजन तहसील कार्यालय कार्मिकों द्वारा मौके पर गलत तरमीम कर स्थिति में परिवर्तन किया गया .....उपरोक्त जवाब प्रार्थना पत्र से राजस्व रिकॉर्ड में हुई त्रुटि व गलत तरमीम को पुनः सुधार करने हेतु मुझ रेस्पोडेण्ट संख्या 02 की पूर्ण सहमति है।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस को सुना गया तथा तहसीलदार देसुरी द्वारा प्रेषित मूल रिकॉर्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया सर्वप्रथम, म्याद जैसे तकनीकी बिन्दु के स्थान पर प्रकरण के गुणावगुण आधार पर निर्णीत करने की आवश्यकता के दृष्टिगत अपीलाण्ट द्वारा परिसीमा अधिनियम की धारा 05 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा विलम्ब की अवधि को कन्डोन किया जाता है।

यह तथ्य निर्विवाद है कि अपीलार्थी एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 02 द्वारा आपसी सहमति से एक बंटवारा प्रस्ताव भूमिधारी एवं तहसीलदार देसुरी के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसे आदेश क्रमांक/3606 दिनांक 31.12.2009 के द्वारा स्वीकार किया गया। किन्तु अपीलार्थी द्वारा अपील मीमों में यह आक्षेप किया गया है कि उक्त आलोच्य आदेश मौके पर वास्तविक कब्जा स्थिति के विपरित पारित किया गया है। जबकि अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी के मध्य विभाजित वास्तविक कब्जा स्थिति के सर्वथा विपरित है।

रेस्पोडेण्ट संख्या 02 ने भी अपने जवाब में अपीलाण्ट के इस कथन को स्वीकार करते हुए अंकित किया है कि तहसीलदार देसुरी का जैर अपील आलोच्य आदेश दिनांक 31.12.2009 मौके पर वास्तविक कब्जा स्थिति के सर्वथा विपरित ढंग से पारित विभाजन आदेश है। इस संबंध में मूल रिकॉर्ड का पुनः अवलोकन किया गया पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव पर

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

CamScanner

राजस्व अपील संख्या : 85/2024
उनवान : अल्लारक खॉ बनाम तहसीलदार देसुरी व अन्य अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

संबंधित पटवारी, भू–अभिलेख निरीक्षक तथा तहसीलदार, किसी के भी द्वारा कब्जा इत्यादि की मौका जांच करने संबंधी कोई मौका फर्द उपलब्ध नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव को रिकॉर्ड एवं मौके की स्थिति का भलीभांति जांच किये बिना ही एवं साइक्लोस्टाइल प्रारुपों में पटवारी एवं भू–अभिलेख निरीक्षक की टिप्पणी लेकर स्वीकार कर दिया गया। इससे, अपीलार्थी एवं रेस्पोडेण्ट के इस तर्क की पुष्टि होती है कि तहसीलदार द्वारा मौके पर वास्तविक कब्जा स्थिति की सम्यक् जांच किये बिना ही जैर आलोच्य आदेश पारित किया गया।

यहॉ यह उल्लेखित करना प्रासंगिक है कि अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 02 द्वारा प्रस्तुत तकमीना प्रस्ताव पर मार्क दिनांक 27 अक्टुबर (27/10) अंकित है जबकि तहसीलदार देसुरी द्वारा उक्त तकमीना प्रस्ताव को दिनांक 31.12.2009 अर्थात् दो माह की अवधि के उपरान्त स्वीकार किया गया। जबकि राजस्थान टिनेन्सी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के नियम 18 में तहसीलदार के लिए आज्ञापक है कि अधिनियम की धारा 53(2)(1) के अन्तर्गत सह–आसामियों द्वारा प्रस्तुत विभाजन एग्रीमेण्ट पर प्रस्तुत करने की तारीख के तीस दिन के भीतर भीतर आदेश पारित करे। स्पष्ट है कि तहसीलदार देसूरी द्वारा हस्तगत प्रकरण में उक्त नियम 18 में अभिनिर्धारित कालावधि का पालन नहीं किया गया।

उपरोक्त आधारों पर न्यायालय हाजा का यह विनम्र अभिमत है कि अपील मीमों के पैरा संख्या 01 में अंकित आराजी के संबंध में पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव पर तहसीलदार देसुरी का स्वीकृति आदेश क्रमांक/राजस्व/09/3606 दिनांक 31.12.2009 वैधानिक रुप से परिपोषणीय नहीं होने से खारिज करने योग्य है।

लिहाजा, अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत हस्तगत अपील रेस्पोडेण्ट की सहमति के आधार पर स्वीकार की जाती है तथा तहसीलदार देसूरी द्वारा पारित जैर–आलोच्य आदेश क्रमांक/3606 दिनांक 31.12.2009 अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण तहसीलदार देसुरी को रिमाण्ड करते हुए निर्देश दिए जाते है कि पक्षकारान को सुनवाई का पुनः अवसर प्रदान करते हुए न्यायोचित निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड लौटाया जाए।

निर्णय आज दिनांक 16.01.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

(शैलेन्द्र सिंह)
R.A.S
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
बाली, जिला-पाली

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली